कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।

क्रमांक / 2023 / स्थापना / 3045-55 दिनांक: 27/04/2023

/ / आदेश / /

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड, भोपाल (ई.एस.बी.) द्वारा आयुष विभाग की रिक्तियों के जारी विज्ञापन के अंतर्गत प्रावीण्य सूची एवं आवश्यक अर्हताओं / शर्तों को पूर्ण करने वाले निम्न चयनित अभ्यर्थियों को महाविद्यालय में **स्टाफ नर्स (तृतीय श्रेणी) के पद पर सातवें वेतनमान 28700–91300 (एल–7)** एवं उस पर देय प्रचलित मंहगाई भत्ते सहित अस्थाई रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कर निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा पदस्थ किया जाता है :–

क0	रोल नं0	अभ्यर्थी का नाम / पिता का नाम / निवास स्थान	वर्ग / संवर्ग	कुल अंक
1	2	3	4	5
1	23577227	स्नेहा सेबास्टियन, पिता श्री पी. सेबास्टियन पता– जूनियर एमआईजी 236 फेस –5 अयोध्या नगर भोपाल म0प्र0	UR	59.76
2	23588558	नीतू शाकुरे पिता श्री बस्ताराम शाकुरे, पता– वार्ड नं. 6 जाम तह लालबर्रा जिला बालाघाट म0प्र0	UR	59.09
3	23577772	अंजली रेमेसन पिता श्री के.आर. रेमेसन पता– सी–4 श्रीराम कॉलोमी छत्रसाल नगर फेस–1 इंद्रपुरी रायसेन रोड भोपाल म0प्र0	UR	59.09

उपरोक्त नियुक्तियॉ निम्नलिखित शर्तो के अधीन होंगी :–

01. यह नियुक्ति अस्थाई रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर दी जाती है।
02. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक / सी.3–13 / 2019 / 3 / एक दिनांक 12.12.2019 के बिन्दु क्रमांक–ब के अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
03. उक्त नियुक्त अभ्यर्थीयों को आदेश प्राप्ति के 15 दिवस मे अपने पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा।
04. कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस में समस्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज यदि सत्यापन में या भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते है, आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
05. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिवस में जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त चिकित्सा प्रमाण पत्र में अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
06. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है, यदि पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरित टीप / तथ्य उदभूत होता है तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
07. आवेदन पत्र शुल्क रूपये 3/– शासकीय कोषालय में मद–0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य सेवाएं–008 अन्य प्रतियों के अंतर्गत जमा करा कर चालान की एक प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।
08. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के नियम 57 एवं दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के नियम 28 के तहत् दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के सत्यापन में अन्यथा तथ्य प्रकाश मे आते है, तो यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

09. नियुक्ति के समय इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपके द्वारा दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी भी रूप में असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

10. पदभार ग्रहण करने के दिनांक से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं म.प्र. शासन के अन्य सभी नियम लागू होगे। शासकीय सेवा में उपस्थित होने पश्चात् शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/आदेशों एवं विभागीय नियम लागू रहेंगे।

11. संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान पर उपस्थित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

13. परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोंन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 एवं (म.प्र. विभागीय सेवा भर्ती) नियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होगें तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदण्ड के अनुसार किया जावेगा।

14. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–5/1/05/नि./चार, दिनांक 02.04.2005 के अनुसार 01.01.2005 के पश्चात् शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर, नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–9/3/03/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार. परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

15. यह अस्थाई नियुक्ति किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिये जाने के पहले या बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेगें तो यह माना जावेगा कि उन्होने अनुपस्थित की तिथि से ही बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, तो उन्हे एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

16. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 3–8–2006–3/1 दिनांक 05.07.2001 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में नियुक्त शासकीय सेवक के 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात् 02 से अधिक जीवित संतान होने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।

17. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

18. किसी भी प्रकार की टंकण, लिपीकीय कार्य एवं पदस्थापना स्थान मे त्रुटि के लिये आयुक्त आयुष का निर्णय अंतिम होकर सर्वमान्य होगा।

(डॉ0 पी एन पाल चौधुरी)
प्र0प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ.क्रमांक/2023/स्थापना/3045-55 दिनांक: 27/04/2023

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ /पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– विशेष सहायक, मान0 मंत्री जी म0प्र0 शासन आयुष विभाग भोपाल।

2– प्रमख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।

3— आयुक्त, संचालनालय आयुष म0प्र0 भोपाल।
4— संभागायुक्त, संभाग........................ एवं अध्यक्ष, स्वशासी कार्यकारिणी समिति।
5— जिला कोषालय अधिकारी...।
6— संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री ....।
7— व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

प्र0प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी